आपके जानने योग्य फूड-स्टाम्प प्रोग्राम के १० तथ्य

तथ्य: फूड-स्टाम्प प्रोग्राम कोई कल्याण कार्यक्रम नहीं है। यह कम आय वाले व्यक्तियों तथा परिवारों को पोषक खाद्य पदार्थों की खरीद एवं उपभोग में सहायता के लिए डिज़ाइन किया एक पोषण सहायता कार्यक्रम है।

तथ्य: फूड-स्टाम्प प्रोग्राम एक हकदारी कार्यक्रम है। दूसरे शब्दों में, हर व्यक्ति जो आवेदन करता है और जो पात्रता रखता है, वो फूड-स्टाम्प के लाभ प्राप्त करेगा।

तथ्य: फूड-स्टाम्प बुज़ुर्ग, विकलांग, कार्यरत कुटुम्ब, कतिपय वैध आप्रवासी और उनके अमेरिका में जन्मे बच्चों सहित योग्य व्यक्तियों एवं परिवारों के लिए हैं।

तथ्य: एकल व्यक्ति एक घर के स्वामी हो सकते हैं अथवा उसे खरीद सकते हैं और फिर भी फूड-स्टाम्प प्राप्त कर सकते हैं। फूड-स्टाम्प प्रोग्राम में घर और इसके भू-क्षेत्र की गिनती एक संसाधन के रूप में नहीं की जाती है। फूड-स्टाम्प प्रोग्राम में किसी व्यक्ति को अपना घर गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती।

तथ्य: वर्ष २००० में, बुज़ुर्ग व्यक्ति जो अकेले रहते थे, को प्रतिमाह औसतन ४३ डॉलर की प्राप्ति हुई; और, अकेले नहीं रहने वाले बुज़ुर्ग लोगों को प्रतिमाह औसतन ११८ डॉलर का लाभ मिला।

तथ्य: यदि कोई बुज़ुर्ग अथवा विकलांग व्यक्ति फूड-स्टाम्प कार्यालय जाने में असमर्थ है, वह एक टेलिफोन साक्षात्कार का अनुरोध कर सकता/सकती है। वह व्यक्ति एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में साक्षात्कार में उपस्थित रहने के लिए किसी रिश्तेदार, धर्म गुरू, पड़ोसी आदि को भी कह सकता है। एस एस आई (Supplemental Security Income – SSI) के आवेदक तथा प्राप्तकर्ता भी सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में फूड-स्टाम्प लाभों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

तथ्य: चिकित्सा खर्चे जो प्रतिमाह ३५ डॉलर से अधिक हों, कुटुम्ब की कुल आय से काटे जा सकते हैं बशर्ते कुटुम्ब के किसी सदस्य के अलावा कोई व्यक्ति अथवा बीमा कंपनी उनका भुगतान करता हो। ३५ डॉलर से अधिक राशि काटी जा सकती है।

तथ्य: जो कुटुम्ब में बुज़ुर्ग अथवा विकलांग व्यक्ति है तो वो कुटुम्ब के लिए संसाधन की सीमा ३,००० डॉलर तक है। अन्य सभी कुटुम्बों के लिए संसाधन सीमा २,००० डॉलर तक है।

तथ्य: कुटुम्ब फूड-स्टाम्प प्राप्त कर सकते हैं और उसके बावजूद सचल आहारशाला (मील्ज़ ऑन व्हील्ज़) (Meals-on-Wheels) से भी भोजन ले सकते हैं, महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के लिए विशेष पूरक पोषण कार्यक्रम डब्ल्यु आई सी (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children – WIC), तथा बाल पोषण जैसे स्कूल लंच कार्यक्रम (School Lunch Program) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

तथ्य: फूड-स्टाम्प प्रोग्राम के लाभ प्राप्त करने से वैध आप्रवासी युक्त कुटुम्ब शासकीय दण्ड का भागी नहीं बनेगा।

फूड-स्टाम्प अमेरिका को शक्तिशाली बनाते हैं

यू एस डी ए (United States Department of Agriculture – USDA) समान अवसर प्रदाता एवं नियोक्ता है।